भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3426
उत्तर देने की तारीख 16.12.2024

पूजा सामग्री के अवशेषों का निपटारा

3426. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोग पूजा समारोह के बाद पूजा सामग्री के अवशेष या अपशिष्ट को कूड़े में नहीं फेंकते हैं तथा उसे निकटवर्ती जल निकायों में डाल देते हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पूजा सामग्री अवशेष और राख के निपटान के लिए कोई योजना है, ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हों; और
(ग) क्या नदियों और जल निकायों के किनारे मूर्तियों के विसर्जन के लिए अलग से घाट बनाने की कोई योजना है, ताकि जल निकायों/नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ग): जी, हां। तथापि, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने राज्य सरकारों/गंगा नदी वाले राज्यों के प्राधिकरणों और अन्य सभी राज्यों को समय-समय पर निदेश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दीपावली (लक्ष्मी पूजा/काली पूजा), छठ पूजा (सूर्य षष्ठी), विश्वकर्मा पूजा आदि जैसे आगामी महोत्सवों के दौरान ऐसी मूर्तियां, पूजा सामग्री और धार्मिक चढ़ावे की अन्य वस्तुओं को नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं आदि जैसे जल निकायों में प्रवाहित करने पर रोक लगाई गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक घाटों का निर्माण किया गया है। तथापि, मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए अलग से किसी घाट का निर्माण नहीं किया गया है। गंगा और इसकी उप नदियों में पूजा के चढ़ावे और मूर्ति विसर्जन सहित अपशिष्ट सामग्रियों के निपटान के संबंध में जनता में व्यावहारिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने हेतु गंगा प्रहरी, गंगा दूत और गंगा मित्र के स्वेच्छाकर्मी संकाय के माध्यम से नियमित सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। व्यावहारिक परिवर्तन संबंधी पहलों को उत्तर प्रदेश में मौजूद गंगा कार्य बल (जीटीएफ) के माध्यम से भी संबलित किया जाता है जो प्रदूषण फैलाने वाली प्रथाओं का समाधान करने और संवहनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों, संवेदनशील नदी क्षेत्रों की गश्त लगाने और घाटों की निगरानी करने जैसे कार्यकलाप करता है।

****